न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

प्रकरण संख्या :– 04/2016

बउनवान

तूफान आयु 57 साल पुत्र छोटूलाल जाति–हरिजन निवासी श्रीनाल तहसील मॉगरोल जिला बारां राजस्थान **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मॉगरोल **(रेस्पोडेंट)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील **विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा तस्दीकी नामान्तकरण सं0 638 दिनांक 28.09.2012 ग्राम तिसाया अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट**

उपस्थिति :– 1. श्री महेशप्रकाश गौतम अभिभाषक **(अपीलांट)**
2.. पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेंट)**

निर्णय दिनांक–16.07.2018

अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तिसाया में आराजी खसरा नम्बर 1032 रकबा 0.64 है0 अवस्थित है जो अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि है तथा अपीलांट को दिनांक 21.6.1989 को 1000/–रूपये प्रतिबीघा की दर से कीमतन आवंटित हुई थी तथा वक्त आवंटन दखल भी दे दिया गया था व नक्शा भी काट दिया गया था तभी से अपीलांट आवंटनशुदा आराजी पर काबिज काश्त है और वर्तमान में भी काबिज काश्त है। आवंटनशुदा आराजी के पुराने खसरा नम्बर 625 तथा नये 1032 है। अपीलांट ने कीमतन आवंटन की राशि 300/–रूपये दिनांक 22.7.1989 तथा 700/–रूपये दिनांक 22.2.1992 को जमा करा दी गई थी तथा गैरखातेदारी प्राप्त करने हेतु तहसीलदार,मॉगरोल के समक्ष आवेदन भी पेश किया गया था।

साथ हीं लिखा कि उक्त आराजी श्रीमान द्वारा आदेश कमांक एफ. 5(429)राजस्व/10/2630–36 दिनांक 15.2.2011 से खसरा नम्बर 223/1125 रकबा 5.21 हैक्टयर में से 1.60 है0 भूमि राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिसाया के खेल मैदान हेतु आवंटित की गई थी जो कि चारागाह भूमि थी। ऐसी के साथ चारागाह भूमि के कम हुये रकबे की क्षतिपूर्ति हेतु खसरा नम्बर 1032 रकबा 1.78 है0 में से 1.60 है0 भूमि चारागाह दर्ज की गयी है जिसका इन्तकाल नम्बर 638 दिनांक 28.9.2012 तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा बाद जॉच तस्दीक किया गया है तो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। इन्तकाल नम्बर 638 दिनांक 28.9.2012 से खसरा नम्बर 1032 रकबा 1.78 है0 में से 1.60 हे0 भूमि जो चारागाह दर्ज की गई है जो गलत है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1032 में से 0.64 है0 भूमि अपीलांट के आवंटनशुदा कब्जे काश्त की भूमि थी जिसकी अपीलांट के खातेदारी दिये जाने हेतु तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा सिफारिश की हुई है। अतः खोला गया इन्तकाल नं0 638 खारिज होने योग्य है। इन्तकाल संख्या 638 खोलते समय पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर वस्तुस्थिति की जॉच नहीं की गई। ना हीं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। मात्र आदेश की

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

पूर्ति हेतु गलत तोर पर अपीलांट के कब्जेशुदा आवंटित आराजी को चारागाह भूमि में दर्ज कर दिया है। वर्तमान में भी अपीलांट का उक्त आरजी पर कब्जा काश्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नं0 638 दिनांक 28.9.2012 निरस्त फरमाया जावे एवं आवंटित आराजी ख0नं0 1032 रकबा 0.64 है0 अपीलांट के राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेकार्ड प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलांट के अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट भूमिहींन गरीब व्यक्ति है जिसे केम्प मुकाम तिसाया में ग्राम तिसाया की आराजी खसरा नम्बर 625 की 5 बीघा भूमि दिनांक 27.6.89 को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मजमें आम में कीमतन 1000/– प्रति बीघा के हिसाब से आवंटित की गयी है जिसका वक्त आवंटन तत्समय हीं दखल दे दिया गया था। तभी से अपीलांट आवंटित आराजी पर काबिज काश्त है। अपीलांट ने आवंटन की शर्तो की पालना में सम्पूर्ण राशि भी जमा करा दी गयी थी। आवंटित आराजी के बाद सेटलमेंट नये नम्बर 1032 रकबा 0.64 है0 बने है। अपीलांट ने उक्त आवंटित आराजी पर गैरखातेदारी दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष कई बार निवेदन किया किन्तु गैरखातेदारी दर्ज नहीं कर, चारागाह दर्ज रखी गयी।

इसी बीच जिला कलक्टर, बारा द्वारा आदेश क्रमांक एफ. 4(5)(429)राजस्व/ 10/2629 दिनांक 15.2.2011 से खसरा नं0 223/1125 रकबा 5.21 है0 भूमि राज. माध्यमिक विद्यालय तिसाया को खेल मैदान हेतु आवंटित की गयी। जिसकी क्षतिपूर्ति अपीलांट को आवंटित आराजी ख0नं0 1032 रकबा 1.78 है0 की 1.60 है0 भूमि जिसमें अपीलांट की आवंटित भूमि भी शामिल है, को चारागाह दर्ज करने के आदेश पारित किये जिसकी पालना में इन्तकाल नं0 638 दिनांक 28.9.2012 को तस्दीक किया गया है, जो इन्तकाल नियम विरूद्व खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय को आवंटित आराजी की क्षतिपूर्ति करने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि वर्तमान में आवंटन अस्तित्व में है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके व रेकार्ड की जॉच किये तथा आवंटी को बिना सुनवाई किये हीं उक्त आदेश व इन्तकाल तस्दीक किया गया है जो प्रारम्भतः हीं निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आवंटित आराजी चारागाह दर्ज होने से आवंटन का अमल नहीं हो पा रहा है। जबकि अपीलांट को आवंटित भूमि पर तत्समय दखल दिया गया है। तभी से आवंटी बदस्तूर काबिज काश्त है। आवंटी ने आवंटन की शर्तो के अनुरूप राशि जमा करायी गयी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मॉगरोल द्वारा तस्दीकी इन्तकाल संख्या 638 दिनांक 28.9.2012 वाके ग्राम तिसाया निरस्त किया जाकर, आवंटित आराजी ख0नं0 1032 रकबा 0.64 है0 में अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल करने के आदेश पारित किये जावे।

इसके विपरीत विद्वान पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अपीलांट/आवंटी ने आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गयी है। अपीलांट को उक्त आराजी कीमतन आवंटित हुयी है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसकी सम्पूर्ण राशि आवंटी ने आज तक जमा नहीं करायी है। इसी कारण उक्त आवंटन का आज तक अमल नहीं हुआ है, ना हीं आवंटी के गैरखातेंदारी में दर्ज नहीं की गयी है। आवंटी को कार्यालय स्तर से राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किये गये है। आवंटी की लापरवाहीं के कारण तत्समय उक्त आराजी अपीलांट के गेरखातेदारी में दर्ज नहीं हुई है। चूकि उक्त आराजी की क्षतिपूर्ति खेल मैदान को आवंटित आराजी के एवज की हो चुकी है। अपीलांट का आवंटन निरस्त करना हीं एक मात्र उपचार है। अपीलांट को कोई इन्तकाल अपील में कोई रिलिफ नहीं दी जा सकती। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि अपीलांट ने हस्तगत अपील इन्तकाल संख्या 638 दिनांक 29.8.2012 वाके ग्राम तिसाया जो जिला कलक्टर कार्यालय बारां के आदेश क्रमांक एफ. 5(429)राजस्व/10/2630–36 दिनांक 15.2.2011 के आदेश की पालना में राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिसाया खेल मेदान को आवंटित भूमि ख0नं0 223/1125 रकबा 1.60 है0, जिसकी क्षतिपूर्ति ख0नं0 1032 रकबा 1.78 में से 1.60 है0 किस्म गै.मु. बेहड भूमि से किये जाने पर, तस्दीकी नामान्तकरण के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। इसमें अपीलांट का मत रहा है कि उक्त आराजी अपीलांट को आवंटित आराजी ख0नं0 625 रकबा 5 बीघा जिसके नये नम्बर 1032 रकबा 0.64 है0 बने में सम्मिलित भूमि है, जिससे किया गया है। इसलिये उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है कि क्योकि अपीलांट को वर्णित आराजी ख0नं0 625 रकबा 5 बीघा भूमि कीमतन 1000/–रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से आवंटित की गयी थी। तत्समय आवंटी द्वारा आवंटन की कीमतन राशि निर्धारित समय पर जमा नहीं करायी है ना हीं आवंटी ने आवंटन की शर्तो की तत्समय पालना नहीं की गयी है। कार्यालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा आवंटी को उक्त कीमतन राशि जमा कराने हेतु तकाजा/नोटिस भी दिये गये है किन्तु अपीलांट/आवंटी ने उक्त राशि जमा नहीं करायी है। इसी कारण आवंटन का अमल नहीं हुआ तथा गैरखातेदारी भी नहीं दी गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवंटी को ना तो कभी दखल दिया गया है, ना हीं उक्त आराजी गैरखातेदारी में दर्ज हुयी तथा ना हीं आवंटन का अमल हुआ है। इसी कारण उक्त आराजी ख0नं0 1032 रकबा रकबा 1.78 है0 किस्म गै.मु.बेहड राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। इसी कारण प्रश्नगत आराजी की क्षतिपूर्ति राजकीय माध्यमिक विद्यालय तिसाया के खेल मैदान को आवंटित चारागाह से की गयी है। चूकि स्पष्ट है कि उक्त इन्तकाल संख्या 638 दिनांक 28.9.2012 वाके ग्राम तिसाया जिला कार्यालय के आदेश कमांक एफ.5(429)राजस्व/10/2630–36 दिनांक 15.2.2011 की पालना में खोला गया है, उक्त आदेश में कोई विधिक त्रुटि व भूल होना नहीं पाया जाता है। इन्तकाल सहीं दर्ज हुआ है। परिणामस्वरूप अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को सरे इजलास लि[illegible] सुनाया गया।

(...ी.सिंह)
...क्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official